[2020] 2 एस.सी.आर. 597

भारत कुकिंग कोल लिमिटेड और अन्य

बनाम

श्याम किशोर सिंह

(सिविल अपील सं. 1009 वर्ष 2020) फरवरी 05, 2020

[न्यायमूर्तिगण आर. भानुमति और ए.एस. बोपन्ना]

सेवा विधि- उत्तरदाता को अपीलार्थी की कम्पनी में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था -सेवा अभिलेखों में उसकी जन्मतिथि 04.03.1950 थी-यद्यपि, उसका दावा है कि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में अंकित प्रविष्टि के आधार पर उसने अपनी जन्मतिथि 20.01.1955 घोषित की थी-वर्ष 2009 में, अपनी सेवा निवृत्ति से ठीक पूर्व अभिलेखों में जन्मतिथि परिवर्तित करने की माँग की -अपीलार्थीगण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया-उत्तरदाता 31.03.2010 को सेवानिवृत हो गया और सेवानिवृति के चार साल पश्चात उसने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका योजित की -उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण को आवश्यक सुधार करने और पारिणामिक आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया-खण्डपीठ ने उत्तरदाता को देय तत्सम्बन्धी लाभों तक सीमित रखा -अवधारितः यदि एक विशिष्ट जन्मतिथि सेवा रजिस्टर में अंकित हो, तो पूरी सेवा के दौरान उसे सही मानने के बाद सेवा के अंतिम चरण में वांछित परिवर्तन पर विचार नहीं किया जा सकता- वर्तमान वाद में, वर्ष 1982 में सेवा में नियुक्ति की तिथि पर और वर्ष 1987 में भी, जब उत्तरदाता के पास नामांकन फार्म भरने का अवसर था और यदि कोई त्रुटि थी तो सुधार करने का अवसर था, उसने जन्मतिथि 04.03.1950 इंगित की- उसने वही दोहराया जब 1998 में भविष्य निधि नामांकन फार्म भरा गया, जो सेवा आरम्भ होने पर सेवा रजिस्टर में अंकित जन्मतिथि से मेल खाता है-इसप्रकार, केवल इसलिए कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से सत्यापन कराया गया था और यदि यह पुष्ट किया गया हो कि जन्मतिथि 20.01.1955 थी तो उस स्तर पर उक्त परिवर्तन अनुज्ञेय नही था-सेवा में आने की तारीख से 30 वर्ष से अधिक बाद, वर्ष 2009 में प्रथम बार उसने अभ्यावेदन किया था-उत्तरदाता ने सेवानिवृति से तत्काल पहले या बाद में भी न्यायिक उपचार का लाभ नहीं उठाया-उच्च न्यायालय के द्वारा उत्तरदाता के प्रति दर्शित अनुग्रह न्यायोचित नहीं था-आक्षेपित आदेश अपास्त।

अपील मंजूर करते हुए न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया- यदि एक विशिष्ट जन्मतिथि सेवा पुस्तिका में अंकित हो, तो पूरी सेवा के दौरान उसे सही मानने के बाद सेवा के अंतिम चरण में वांछित परिवर्तन पर विचार नहीं किया जा सकता। दिनांक 01.03.1982 को उत्तरदाता सेवा में आया। जन्मतिथि 04.03.1950 प्रविष्ट की गयी जो उक्त तिथि से अभिलेखों में बनी रही। वर्तमान वाद में, जैसा कि सेवा में नियुक्ति की तिथि पर और वर्ष 1987 में जब उत्तरदाता के पास नामांकन फार्म भरने का अवसर था और यदि कोई त्रुटि थी तो सुधार करने का अवसर था, उसने जन्मतिथि 04.03.1950 इंगित की थी और आगे भी, जब भविष्य निधि नामांकन फार्म 1998 में भरा गया उसने वही दोहराया। उसने सेवा में नियुक्त की तिथि से 30 वर्ष से अधिक पश्चात प्रथम बार वर्ष 2009 में अभ्यावेदन दिया। इसके अतिरिक्त उत्तरदाता ने सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व या पश्चात विधिक उपचार का लाभ नहीं उठाया। इसके बजाय, 31.03.2010 को उत्तरदाता सेवा से सेवानिवृत हो गया और उसके बाद भी, सेवानिवृति की तिथि से चार वर्ष बाद वर्ष 2014 में रिट याचिका योजित की गयी। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता के प्रति दर्शित अनुग्रह न्यायोचित नहीं था। अतः विद्वान एकल न्यायमूर्ति के द्वारा डब्लूपी(एस) नम्बर 6172 वर्ष 2014 और एलपीए सं. 115 वर्ष 2018 में खण्डपीठ के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19.02.2019 स्थिर रहने योग्य नहीं है। आक्षेपित आदेश निरस्त किया गया।

कामता पांडे बनाम मेसर्स बीसीसीआई और अन्य [2007] 3 जे एल जे आर 726;

महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम गोरखनाथ सीताराम काम्बले और अन्य (2010) 14 एससीसी 423 : [2010] 14 एससीआर 752; एम.पी. राज्य बनाम प्रेमलाल श्रीवास (2011) 9 एससीसी 664: [2011] 11 एससीआर 444; फैक्ट्री मैनेजर किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड बनाम लक्ष्मण (2020) 3 एससीसी 419; मेसर्स ईश्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और अन्य बनाम राम समुझ यादव और अन्य (2020) 3 एससीसी 421 संदर्भित।

भारत कुकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम छोटा बिरसा उरांव (2014)12 एससीसी 570: [2014] 4 एस सी आर 887 सुभिन्न किया गया।

विधिव्यवस्था संदर्भित [2007] 3 जेएलजेआर 726 संदर्भित पैरा 4 [2010] 14 एससीआर 752 संदर्भित पैरा 8 [2011] 11 एससीआर 444 संदर्भित पैरा 9 (2020) 3 एससीसी 419 संदर्भित पैरा 10 (2020)3 एससीसी 421 संदर्भित पैरा 10 [2014] 4 एससीआर 887 पैरा 11 सुभिन्न किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1009 वर्ष 2020 एल.पी.ए. नं. 115 वर्ष 2018 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्णय और आदेश दिनांकित 19.02.2019 से।

के.एम.नटराज, एएसजी, परिजात किशोर, निश्चल गुप्ता, वत्सब जोशी अधिवक्तागण अपीलार्थीगण की ओर से।

एम.शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील , संतोष कुमार, मोजाहिद करीम खान अधिवक्तागण उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए.एस.बोपन्ना द्वारा दिया गया-

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. अपीलार्थी, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की खण्डपीठ द्वारा एल.पी.ए. नं.15 में पारित आदेश दिनांकित 19.02.2019 पर आक्षेप करते हुए इस न्यायालय के समक्ष हैं। उक्त आदेश के माध्यम से खण्डपीठ ने यद्यपि विद्वान एकल न्यायमूर्ति के निर्णय और आदेश दिनांकित 13.10.2017 को, प्रदान किये गये अनुतोष की सीमा तक, संशोधित किया है, जिसमें सेवा अभिलेखों में उत्तरदाता की जन्मतिथि के परिवर्तन से सम्बन्धित तर्कों को स्वीकार किया गया और अप्रैल , 2010 से मार्च, 2011 तक की अवधि का एक वर्ष के वेतन के बराबर धनराशि भुगतान करने का अपीलार्थीगण को निर्देश दिया गया। जिससे व्यथित होने के कारण अपीलार्थीगण इस अपील में हमारे समक्ष है।

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि उत्तरदाता को अपीलार्थीगण की कम्पनी में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था। उसे कार्मिक संख्या 00473470 आवंटित किया गया और प्रशिक्षु डोजर आपरेटर के रूप में दिनांक 27.02.1982 से सेवा में शामिल हुआ। यद्यपि उत्तरदाता का दावा है कि उसने मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में निहित प्रविष्ट जन्मतिथि के आधार पर अपनी जन्मतिथि 20.01.1955 घोषित की थी, तथ्य यह है कि सेवा अभिलेख में उसकी जन्मतिथि 04.03.1950 अंकित की गयी थी और उसकी नियुक्ति की तिथि 27.02.1982 से उसकी सेवा निवृति की तिथि 31.03.2010 तक बनी रही। वर्ष 1998 में उत्तरदाता ने भविष्य निधि नामांकन फार्म प्रस्तुत किया जिसमें उसने अपने परिवार का विवरण दर्शित किया और अपनी पत्नी को अपनी नामनिर्देशिती दर्शित किया। सम्बन्धित फार्म में भी, उत्तरदाता ने अपनी जन्मतिथि 04.03.1950 दर्शित की थी। इसप्रकार उत्तरदाता सेवानिवृति की आयु तक निरंतर सेवा में रहते हुए 31.03.2010 को सेवा से सेवानिवृत हुआ। उसकी सेवानिवृति से ठीक पूर्व , वर्ष 2009 में, उत्तरदाता ने एक अभ्यावेदन दिया जिसके द्वारा अभिलेखों में प्रविष्ट जन्मतिथि को परिवर्तित

करने की माँग की, जो अपीलार्थीगण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उत्तरदाता ने उस समय इस मामले को आगे नहीं बढाया और 31.10.2010 को सेवानिवृत होने के चार साल की अवधि बीतने के बाद डब्लू.पी.(एस) नं. 6172/2014 झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के समक्ष योजित किया। यहाँ उपस्थित अपीलकर्तागण ने उपस्थित होकर अपनी आपत्ति कथन प्रस्तुत किया। विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने प्रस्तुत दावे की प्रकृति पर विचार करते कहा कि जब उत्तरदाता ने वर्ष 2009 में जन्मतिथि के सुधार के सम्बन्ध में मुद्दा उठाया था तो अपीलकर्तागण ने उत्तरदाता द्वारा दावाकृत जन्मतिथि का बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड, पटना से सत्यापन कराया। सत्यापन से यह पुष्ट पाया गया कि स्कूल अभिलेखों में जन्मतिथि 20.01.1955 थी। इसमें अपीलार्थीगण के द्वारा कराये गये सत्यापन को विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने उनके विरूद्ध अवधारित किया और यह संप्रेक्षित किया कि यदि सेवा अभिलेखों में उत्तरदाता द्वारा अंकित तिथि 04.03.1950 सही थी तो अपीलार्थीगण को उसे बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से सत्यापन कराने का कोई कारण नहीं था। इन परिस्थितियों में विद्वान एकल न्यायमूर्ति की राय में कि उत्तरदाता ने सेवा में नियुक्ति के पूर्व मैट्रिकुलेशन पास किया था और इस परिस्थितियों में सेवा में नियुक्ति से पूर्व से ही मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 20.01.1955 अंकित थी और उत्तरदाता के प्रतिवाद को स्वीकार किया और इसपृष्ठभूमि में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपीलार्थीगण को उचित सुधार करने और पारिणामिक आदेश पारित करने हेतु निर्देशित जाना चाहिए।

4. खण्डपीठ ने विद्वान एकल न्यायमूर्ति के द्वारा मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से सत्यापन के सम्बन्ध में कथित तर्कों को उल्लेख किया और इन परिस्थितियों में जबकि विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने झारखंड उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ के द्वारा कामता पांडे बनाम मेसर्स बीसीसीआई और अन्य[2007(3)जेएलजेआर 726] के वाद में दिये गये निर्णय पर भरोसा किया था, विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा प्रदत्त उक्त तर्क को बरकरार रखा। यद्यपि, खंडपीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि इसमें उत्तरदाता ने अपनी सेवा बहाली के लिए सेवानिवृति के चार साल बाद रिट याचिका दाखिल की। आगे यह भी ध्यान दिया कि उत्तरदाता ने अपनी सेवा के दौरान कई फार्म भरे थे जहाँ उत्तरदाता ने अपनी शैक्षिक योग्यता का खुलासा नहीं किया था। इस दृष्टिकोण के साथ, खंडपीठ की राय में विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने, न्यायालय में देरी से आने के पहलू को ठीक से नहीं निपटाये। उक्त परिस्थिति मे खंडपीठ ने अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 की अवधि के बीच एक वर्ष के समय का तत्कालीन वेतन का उत्तरदाता को देय लाभों तक सीमित किया था। इस पृष्ठभूमि में अपीलार्थीगण विद्वान एकल न्यायमूर्ति साथ ही

खंडपीठ के द्वारा पारित दोनों के आदेश से व्यथित होने के कारण अपील में इस न्यायालय के समक्ष है।

5. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित श्री के.एम.नटराज विद्वान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल और उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता श्री एम .शोएब आलम को सुना और अपील प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. यह तथ्य कि उत्तरदाता ने 01.03.1982 को अपीलार्थीगण की सेवाओं में शामिल हुआ , स्वीकृत स्थिति है। यद्यपि उत्तरदाता के द्वारा यह इंगित करने के लिए कि उसमें कथित जन्मतिथि 20.01.1955 है, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र पर विश्वास किया है, यह इंगित करने के लिए कि उक्त अभिलेख नियोक्ता के समक्ष सेवा में नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया हो , अभिलेख पर ऐसा कोई सामग्री नहीं है। इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थीगण के द्वारा संरक्षित सेवा अभिलेख से यह पता चलेगा कि दस्तावेज में इंगित जन्मतिथि 04.03.1950 है जो स्वयं उत्तरदाता द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गयी थी क्योंकि अपने हस्ताक्षर से प्रासंगिक प्रपत्र प्रस्तुत किया जिनमें उक्त तिथि शामिल है।यद्यपि उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने जन्मतिथि के कुछ परिवर्तनों पर ध्यान दिया है जैसा कि फार्म "बी" में दर्शित किया गया है सेवा अभिलेख में अन्य दस्तावेजों के संदर्भ के बिना उक्त दस्तावेज की प्रांसगिकता पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य कि उत्तरदाता ने वर्ष 2009 में किये गये अपने अभ्यावेदन के द्वारा जन्मतिथि के सम्बन्ध में प्रवृष्टि में परिवर्तन चाहा था जो यह इंगित करता है कि जो सेवा अभिलेखों में अंकित था वह 04.03.1950 है, जो 27.02.1982 से स्थिति थी।

7. उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह ध्यान देने योग्य है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा जैसा विचार किया गया, न्यायोचित है। उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान एकल न्यायमूर्ति के आदेश के पैरा10 के विशिष्ट संदर्भ में उस पहलू का उल्लेख किया जिसमें विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने उत्तरदाता के द्वारा वर्ष 2009 में दिये गये अभ्यावेदन पर और अपीलार्थीगण द्वारा बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से प्राप्त सत्यापन पर ध्यान दिया। यद्यपि ऐसा संदर्भ दिया गया है, हमारी राय में, वर्तमान तथ्यों में वह उचित नहीं था जब सेवा की तिथि से तीन दशक बीच चुके थे। स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि एक विशिष्ट जन्मतिथि सेवा रजिस्टर में अंकित की गयी है , सम्पूर्ण सेवा के दौरान इसे सही मानने के बाद , सेवा में अंतिम चरण में वांछित संशोधन पर विचार नहीं किया जा सकता। इन तात्कालिक तथ्यों में स्थिति यह है कि उत्तरदाता ने 01.03.1982 को सेवा में प्रवेश किया। जन्मतिथि 04.03.1950 के रूप में प्रवृष्टि की गयी जो

उक्त तिथि से अभिलेख पर बनी रही। परिवार और नामनिर्देशिती के विवरणों का दर्शाने वाले नामांकन फार्म को जमा करने की आवश्यकता का अनुपालन किया गया और इसे उत्तरदाता ने 25.05.1998 को प्रस्तुत किया। उक्त नामांकन फार्म में कर्मचारी के जन्मतिथि का उल्लेख किया जाना आवश्यक था, जिसमें उत्तरदाता ने स्वयं अपने हस्तलेख में जन्मतिथि 04.03.1950 इंगित की है। उक्त तथ्य के अलावा, विद्वान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल यह भी बताया कि चूँकि सेवा रजिस्टर के अनुरक्षण की पद्धति में परिवर्तन आया था, इसलिए सभी कर्मचारियों को वर्ष 1987 में सेवा रिकार्ड का सत्यापन करने और उसमें परिवर्तन की मांग करने का अवसर दिया गया था। उस स्तर पर भी उत्तरदाता ने किसी परिर्वतन की मांग नहीं की। इसलिए , इन परिस्थितियों में, जब वर्ष 1987 में प्रथम बार अवसर उपलब्ध था लाभ नहीं उठाया गया था और उसके बाद 25.05.1998 को जब उत्तरदाता ने स्वयं भविष्य निधि नामांकन फार्म में जन्मतिथि 04.03.1950 इंगित की, जो सेवा के आरम्भ की तिथि पर सेवा रजिस्टर में अंकित जन्मतिथि से मेल खाती है, मात्र इस कारण से कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से सत्यापन कराया गया था और यदि यह पुष्ट भी किया गया था कि जन्मतिथि 20.01.1955 थी, तो भी उस स्तर पर ऐसा परिवर्तन अनुमन्य नहीं था।

8. इस न्यायालय ने लगातार माना है कि सेवा के अंतिम चरण में सेवा रिकार्ड में जन्मतिथि परिवर्तन का अनुरोध संधारणीय नहीं है। विद्वान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ने इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम गोरखनाथ सीताराम काम्बले और अन्य (2010) 14 एससीसी 423 के मामले के निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया जिसमें इस न्यायालय के पूर्व के निर्णयों की श्रृंखला पर ध्यान दिया गया और निम्नवत यह अवधारित किया गयाः

"16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यू .पी.माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम राज कुमार अग्निहोत्री [(2005) 11 एससीसी 465: 2006 एससीसी (एल&एस) 96] के वाद में इस न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया। इस वाद में इस न्यायालय ने इस न्यायालय के अनेकों निर्णयों पर विचार किया और यह संप्रेक्षित किया कि सेवा कैरियर के अन्तिम चरण में सेवा रिकार्ड में जन्मतिथि के सम्बन्ध में शिकायत की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

17. उत्तरांचल राज्य बनाम पीताम्बर दत्त सेमवाल [(2005) 11 एससीसी 477: 2006 एससीसी (एल&एस) 106] के एक अन्य निर्णय में राज्य कर्मचारी को इस आधार पर अनुतोष देने से इंकार किया गया कि लगभग 30 वर्ष सेवा के बाद उसने सेवा रिकार्ड में सुधार की मॉग

की थी। उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए यह संप्रेक्षित किया कि उच्च न्यायालय को लगभग तीन दशकों के उपरांत निर्णय से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

19. ये निर्णय मामले के एक भिन्न आयाम की तरफ इंगित करते हैं कि अंतिम चरण में सुधार अत्यधिक संख्या में कर्मचारियों की कीमत पर होगा, इसलिए, अंतिम चरण में सुधारों को न्यायालय द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए। गृह विभाग बनाम आर. किरूबाकरन [1994 सप्ली. (1) एससीसी 155: 1994 एससीसी (एल&एस) 449 : (1994) 26 एटीसी 828] में निर्णय का प्रांसगिक भाग निम्नवत हैः (एससीसी पृष्ठ 158-59, पैरा 7)

"7,जन्मतिथि के सुधार के लिए आवेदन [एक लोक सेवक द्वारा उसकी सेवा के अन्तिम चरण में विचार नहीं किया जा सकता]। यह बताने की आवश्यकता नही है कि लोक सेवक की जन्मतिथि के सुधार के लिए ऐसे किसी भी निर्देश की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है , क्योंकि उसके नीचे वर्षों अपनी सम्बन्धित पदोन्नति का इंतजार कर रहे अन्य लोग इस प्रक्रिया से प्रभावित होते है। कुछ को अपूर्णीय क्षति होनी सम्भाव्य है, जैसे कि जन्मतिथि के सुधार के कारण , सम्बन्धित अधिकारी, कुछ मामलों में वर्षों तक अपने पद पर कार्यरत रहता है, जिसके दौरान कई अधिकारी जो वरिष्ठता में उनके नीचे है, अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे हमेशा के लिए अपनी पदोन्नति खो सकते हैं। हमारे विचार से , यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसकी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा, लोक सेवक की जन्मतिथि में सुधार के सम्बन्ध में शिकायत की जाँच करते समय अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसप्रकार , जब तक उत्तरदाता के द्वारा ऐसी सामग्री के आधार पर स्पष्ट प्रकरण प्रस्तुत न किया गया हो, जिसे निश्चायक प्रकृति का अवधारित किया जा सके, तबतक ऐसी किसी सामग्री के आधार पर न्यायालय या ट्रिब्यूनल को कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहिए जो केवल इस तरह के दावे को सम्भाव्य बनाते हों। ऐसा कोई निर्देश जारी करने से पूर्व न्यायालय या ट्रिब्यूनल को पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए कि सम्बन्धित व्यक्ति को वास्तव में अन्याय हुआ है और उसका जन्मतिथि में सुधार का दावा विहित प्रक्रिया के अनुसार और किसी नियम या आदेश से नियत समय के अन्दर किया गया है ....। सेवा पुस्तिका में अपनी जन्मतिथि गलत अंकित होने को साबित करने का भार आवेदक पर है।"

9. वास्तव में इस न्यायालय ने यह भी माना है कि यद्यपि यह साबित करने के लिए अच्छे साक्ष्य हों कि अंकित जन्मतिथि त्रुटिपूर्ण है, अधिकार के तौर पर सुधार का दावा नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में एम.पी. राज्य बनाम प्रेमलाल श्रीवास, (2011) 9 एससीसी 664 में यह अवधारित किया गया कि-

"8. इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि राजकीय कर्मचारी की जन्मतिथि में सुधार से सम्बन्धित मामलों में, विशेष रूप से उसके सेवानिवृति के ठीक पूर्व या उसके सेवाकाल के अन्तिम समय पर, किसी भी राजकीय सेवा में आने के समय सेवा पुस्तिका में अंकित जन्मतिथि में सुधार का निर्देश देने से पूर्व न्यायालय या ट्रिब्यूनल को चौकस , सतर्क और सावधान रहना होगा। जब तक न्यायालय या ट्रिब्यूनल उसकी जन्मतिथि से सम्बन्धित अकाट्य प्रमाण के आधार पर पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता है और यह कि इस प्रकार का दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या सम्बन्धित विभाग द्वारा अपनाई गयी सुसंगत प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो, जैसा भी मामला हो, और सम्बन्धित व्यक्ति को वास्तविक अन्याय कारित हुआ हो, तो न्यायालय या ट्रिब्यूनल को सेवा पुस्तिका में ऐसे सुधार का निर्देश देने से गुरेज करना चाहिए। इस न्यायालय ने बार- बार यह विचार व्यक्त किया है कि यदि कोई राजकीय कर्मचारी सेवा में आने के लम्बी अवधि के बाद अंकित जन्मतिथि में सुधार का निवेदन करता है , विशेष रूप से उसके नियोक्ता के द्वारा नियत अवधि के बाद, वह बतौर अधिकार जन्मतिथि में सुधार का दावा नहीं कर सकता है, भले ही उसके पास यह साबित करने के लिए अच्छे साक्ष्य हों कि अंकित जन्मतिथि स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है।

कोई भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल ऐसे व्यक्ति की सहायता के लिए नहीं आ सकता जो अपने अधिकारों के प्रति सोते हैं। (देखिये भारत संघ बनाम हरनाम सिंह [(1993) 2 एससीसी 162: 1993 एससीसी (एल&एस) 375 : (1993) 24 एटीसी 92]).

12. जो भी हो, हमारी राय में, जन्मतिथि में सुधार का आवेदन करने में दो दशक से अधिक का विलम्ब उत्तरदाता के मामले के लिए प्रत्यक्षतः घातक है, इस तथ्य के बावजूद, कि ऐसा कोई विशिष्ट नियम या आदेश नही था, न बनाया गया न किया गया, उस अवधि को निर्धारित करता हो जिसमें ऐसा आवेदन दिया जा सकता हो। यह सामान्य बात है कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे आवेदन किये जाने चाहिए जिसे उचित ठहराया जा सके। उत्तरदाता द्वारा, उसके सेवा में आने के 25 वर्ष बाद योजित किया गया आवेदन, किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता , जबतब उक्त विलम्ब के स्पष्टीकरण हेतु तुच्छ प्रयास भी न किया गया हो। उत्तरदाता के इस तर्क में कोई सार भी नहीं है कि चूँकि मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता का नियम 84 समय सीमा का निर्धारण नहीं करता है जिसके अन्दर आवेदन प्रस्तुत किया जाना हो , अपीलार्थीगण सेवा पुस्तिका में उसकी जन्मतिथि अंकित करने में की गयी लिपिकीय त्रुटि को सुधार करने के लिए बाध्य थे।"

10. विद्वान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ने एसएलपी (सी) संख्या 2592-2593/2018 दिनांकित 25.05.2019 फैक्ट्री मैनेजर किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड बनाम लक्ष्मण के मामले में इस न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय पर भरोसा किया जिसमें विलम्बित दावे पर विचार नहीं किया गया था। आगे मेसर्स ईस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड और अन्य बनाम राम समुझ यादव और अन्य सी.ए.नं. 7724 वर्ष 2011 दिनांकित 27.05.2019 में इस न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया गया जिसमें इस न्यायालय ने निम्नवत अवधारित कियाः

"कुछ भी ऐसा अभिलेख पर नहीं है कि वर्ष 1987 में जब उत्तरदाता संख्या 1 को सेवा अभिलेख के बारे में मुद्दा/ विवाद उठाने का अवसर दिया गया था विशेष रूप से सेवा अभिलेख में अंकित जन्मतिथि से सम्बन्धित, तो ऐसा कोई मुद्दा/विवाद नहीं उठाया गया था। सेवानिवृति से केवल एक वर्ष पूर्व उत्तरदाता संख्या 1 ने विवाद को उठाया जिसे विलम्बित विवाद कहा जा सकता है और इसलिए विद्वान एकल न्यायमूर्ति के साथ-साथ नियोक्ता का भी ऐसे मुद्दे को स्वीकार करने से इंकार करने में न्यायोचित था।

इस प्रकार, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता को सेवा के कई वर्षों के बाद उत्तरदाता संख्या 1 के सेवा अभिलेखों में जन्मतिथि के सुधार के लिए निर्देश देकर गम्भीर त्रुटि की है और वह भी तब जब सेवानिवृति से मात्र एक वर्ष पूर्व मुद्दे को उठाया गया था और जैसा कि यहाँ देखा गया है कि इससे पूर्व कोई विवाद नहीं उठाया गया था।"

11. दूसरी तरफ, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने भारत कुकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम छोटा बिरसा उरावँ (2014) 12 एससीसी 570 में इस न्यायालय के द्वारा उसी नियोक्ता अर्थात अपीलकर्ताओं से सम्बन्धित वाद में दिये गये इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया जिसमें इस न्यायालय ने इस न्यायालय के पूर्व के निर्णयों के संदर्भ से उच्च न्यायालय के आदेश को बहाल रखा जिसमें जन्मतिथि में परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए निर्देश जारी किया गया था। उसका अवलोकन करने के उपरांत, हम इस विचार के हैं कि उक्त निर्णय इस मामले में उत्तरदाता को सहायता प्रदान नही कर सकता है। यह इस कारण से है कि उक्त वाद में यह ध्यान दिया गया था कि वर्ष 1987 में राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (iii) के क्रियान्वयन पर कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के स्थिरीकरण हेतु इसे लागू किया गया और इसके सभी कर्मचारियों को उनकी सेवा विवरण के साथ नामांकन फार्म प्रदान करके सेवा अभिलेखों में विसंगतियों की पहचान करने और सुधार करने के लिए एक अवसर दिया गया था। उद्धत मामले में उत्तरदाता(कर्मचारी) ने अपनी जन्मतिथि, नियुक्ति की तारीख, पिता के नाम और स्थाई पता

के बारे में विसंगतियों पर ध्यान दिया और सुधार का अवसर दिये जाने का लाभ उठाया। यद्यपि उसने विसंगतियों में सुधार की माँग की थी , अन्य विसंगतियों को सही किया गया था लेकिन जन्मतिथि और नियुक्ति की तिथि फिर भी अपरिवर्तित रह गयी और इस दृष्टिकोण से कर्मचारी ने पुनः उसके सम्बन्ध में विवाद उठाया था और न्यायिक अनुतोष चाहा जिसमें उसे लाभ दिया गया था।

12. दूसरी ओर, वर्तमान मामले में, जैसा नियुक्ति की तिथि पर और वर्ष 1987 में जब उत्तरदाता के पास नामांकन फार्म भरने और यदि कोई विसंगती थी तो सुधार करने का अवसर मिला था, उसने जन्मतिथि 04.03.1950 इंगित किया और उसने वर्ष 1998 में भविष्य निधि नामांकन फार्म भरे जाने पर भी उसने यही दोहराया। सेवा में आने के 30 वर्ष से अधिक समय बाद ही उसने प्रथम बार वर्ष 2009 में उसने अभ्यावेदन दिया। आगे उत्तरदाता ने सेवानिवृति से ठीक पूर्व या बाद में न्यायिक उपचार का लाभ नहीं उठाया। बल्कि , उत्तरदाता सेवा से 31.03.2010 को सेवानिवृत हो गया और उसके बाद भी , सेवा से सेवानिवृति की तिथि से चार साल बाद, वर्ष 2014 में रिट याचिका योजित की गयी। इन परिस्थितियों में , उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता के प्रति दर्शित उदारता न्यायोचित नहीं थी।

13. अतः विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा डब्लूपी (एस) नं. 6172 वर्ष 2014 में पारित आदेश दिनांकित 13.10.2017 और खंडपीठ द्वारा एलपीए नं. 115 वर्ष 2018 में पारित आदेश दिनांकित 19.02.2019 बने रहने योग्य नही है।

14. परिणामतः आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है और हर्जे के सम्बन्ध में किसी आदेश के बिना अपील स्वीकार की जाती है। लम्बित प्रार्थना पत्र, यदि कोई हो, को भी निस्तारित किया जाता है।

अपील स्वीकृत।

sailendra kumar verma